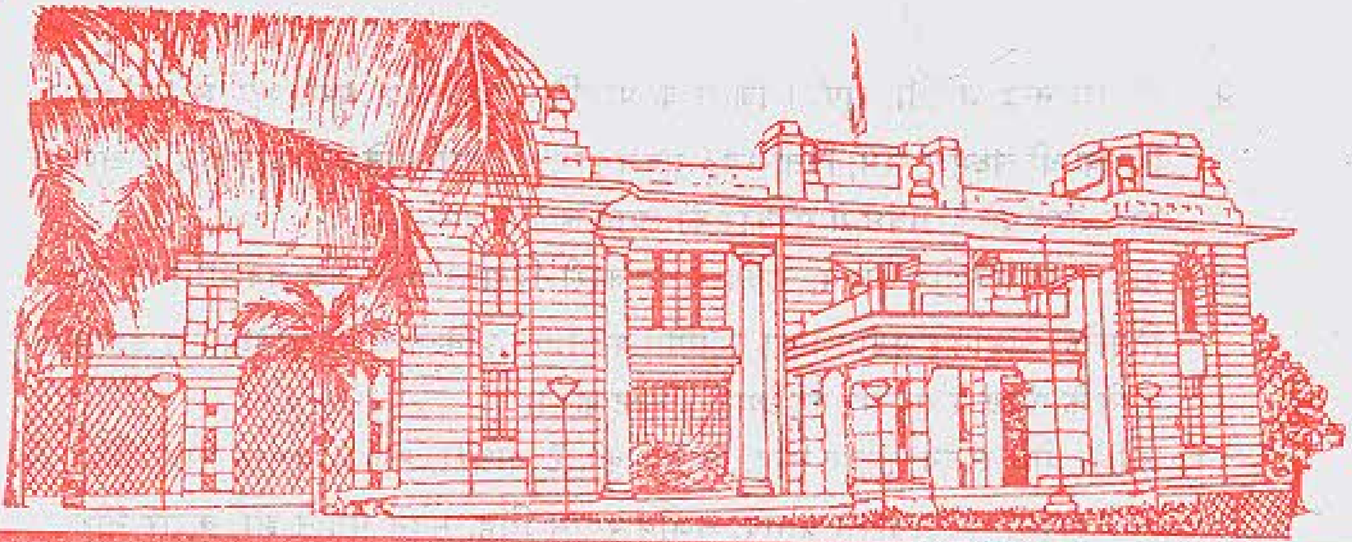

बिहार विधान परिषद कार्य सूची

संख्या-13 188वां सत्र

शुक्रवार , दिनांक 16 मार्च, 2018
11.00 बजे पूर्वाह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण

5. श्री राजेश राम, राज्य में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत नियुक्त रसोईया सहायकों की सेवा स्थायी करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
6. श्री तनवीर अख्तर, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57(ए)(1) के संशोधन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
7. श्री दिलीप कुमार चौधरी, आर.एन.एम. बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा के नवनिर्मित 100 (एक सौ) शय्या वाले बालिका छात्रावास के संचालन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
8. श्री चन्देश्वर प्रसाद, +2 घनश्याम उच्च विद्यालय, खगौल, पटना में संगीत शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

9. श्री रामचन्द्र भारती, सुपौल जिला के प्राथमिक विद्यालय, पृथ्वीपट्टी में नियुक्त शिक्षक श्री लक्ष्मण राम, पिता-स्व० सुकन राम को उपस्थिति दर्ज करने एवं शिक्षण कार्य करने देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

10. प्रो० नवल किशोर यादव, राज्य के सरकारी विद्यालयों में लैब तकनीशियन की नियुक्ति, आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने एवं प्रैक्टिकल की अनिवार्यता बहाल करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

11. सर्वश्री प्रो० संजय कुमार सिंह, दिलीप कुमार चौधरी, संजीव कुमार सिंह, देवेश चन्द्र ठाकुर, सूरज नन्दन प्रसाद, संजीव श्याम सिंह, मदन मोहन झा, केदार नाथ पाण्डेय एवं नीरज कुमार, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को दिये जाने वाले अनुदान को समाप्त कर घाटानुदान का प्रावधान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

12. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव, जे०पी० विश्वविद्यालय, छपरा में व्याप्त अराजकता दूर करने के संबंध में सरकार का वक्तव्य

13. डा० रामवचन राय, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बाजितपुर बुचौली, प्रखंड-जन्दाहा, जिला-वैशाली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार का वक्तव्य

14. प्रो० नवल किशोर यादव, राज्य के नियोजित शिक्षकों एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश से नियुक्त शिक्षकों को न्यायोचित वेतन देने के संबंध में सरकार का वक्तव्य

15. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक-4593 दिनांक-18.08.2017 द्वारा कर्मियों की सेवा मुक्ति के पश्चात् शेष 248 कर्मियों की सेवा सामंजन के संबंध में सरकार का वक्तव्य

16. श्री दिलीप कुमार चौधरी, राज्य के 429 संस्कृत विद्यालयों के सरकारीकरण से संबंधित गजट को वैधिक सक्षमता प्रदान करने के संबंध में सरकार का वक्तव्य

17. श्री दिनेश प्रसाद सिंह, मोतिहारी-सिल्लीगुड़ी मार्ग में अवैध बसों के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में सरकार का वक्तव्य

18. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।

Panwar
15.3.18

(सुनील कुमार पंवार)
सचिव
बिहार विधान परिषद्